



2026:AHC:24982

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 2752/2026

मंशा देवी

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता : राम अनुज प्रजापति

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याची के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. आज प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी-प्रतिवादी को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. याची द्वारा वर्तमान रिट याचिका में केवल यह प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् उप जिलाधिकारी, तहसील-सदर, जनपद-मऊ को निर्देशित किया जाए कि वे उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 229(बी) के अंतर्गत वाद संख्या T20141551015471 में याची द्वारा दायर लंबित बहाली आवेदन का निस्तारण निर्धारित अवधि के भीतर करें।
4. उपस्थित पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परीक्षण किया गया।
5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका को प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् उप जिलाधिकारी, तहसील-सदर, जनपद-मऊ को यह निर्देश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है कि वे याची द्वारा दायर उक्त आवेदन का निस्तारण शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर करें, तथा बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, यदि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

4 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



स्वाति

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"